न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–136/2017–18 राज्य बनाम किशोर कुमार बगेरिया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक की गई कार्रवाई व पत्रांक एवं दिनांक
13.03.2018	**आदेश** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4284/हि0शा0, दिनांक 12.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत गोगरी थाना कांड सं0–415/2017 दिनांक 28.09.2017 में वादी पु0नि0–सह–थानाध्यक्ष, गोगरी के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर किशोर कुमार बगेरिया पे0 महादेव राय उर्फ काशी राम बगेरिया, साकिन–जमालपुर के गोदाम से 24 बोतल रॉयल स्टेग विदेशी शराब बरामद किया गया है। गोदाम के संचालक द्वारा विदेशी शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में शील बन्द गोदाम अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, गोगरी का अनुशंसा संलग्न है। अभिलेख में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–30(ए) के अन्तर्गत तलाशी–सह–जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है, जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, गोगरी के प्रतिवेदनानुसार 24 बोतल रॉयल स्टेग विदेशी शराब प्रा0अभि0 किशोर कुमार बगेरिया पे0 महादेव राय उर्फ काशी राम बगेरिया, सा0–जमालपुर के गोदाम से बरामद किया गया। प्रा0अभि0 किशोर कुमार बगेरिया अपने भाई एवं पिता से अलग रहते हैं। गोदाम से होकर इनके घर में उपर के मंजिल में रास्ता जाता है। प्रा0अभि0 कोर्ट जमानत पर है। शराब जप्ती के समय गोदाम को सील किया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि वह गोदाम प्राथमिकी अभियुक्त के माँ श्रीमती जीवनी देवी पति काशी राम बगेरिया, सा0–जमालपुर के नाम से बन्दोवस्ती है तथा 2008–2009 तक की मालगुजारी रसीद उनके पास है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी किशोर कुमार बगेरिया पे0–महादेव राय उर्फ काशी राम बगेरिया, साकिन जमालपुर थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया के विरूद्ध डी0बी0नं0–488 दिनांक 22.12.17 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 489/विधि, दिनांक 22.12.2017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस	

पदाधिकारी, गोगरी को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा समर्पित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि कथित रॉयल स्टेग व्हिस्की का बोतल खुला स्थान से बरामद किया गया है जो स्थल विपक्षी के कब्जे में नहीं था, बल्कि खुला स्थान पर अन्य लोगों का आना जाना होता है। उनका यह भी कहना है कि बरामद व्हिस्की का बोतल सार्वजनिक स्थल सड़क के बगल से बरामद किया गया था जिसे पुलिस विपक्षी के दुश्मन के मेल में जाकर गोदाम में दिखाया है जो गोदाम खुला था जिस गोदाम में किसी प्रकार का फाटक या किबाड़ नहीं था। उक्त कथित गोदाम एवं दूकान की जमीन का मालकिन जीवनी देवी जैजे काशी राम, साकिन–जमालपुर थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया है जिसका खाता नं0–02 खेसरा नं0–170 रकवा 01 कट्ठा 01 धुर 07 धुरकी 10 फुरकी है, जिस पर जीवनी देवी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है जो एक वृद्ध एवं असहाय महिला है। जिसके जीवन यापन का एकमात्र सहारा उक्त दुकान से प्राप्त होने वाले किराया है। विपक्षी उक्त प्लॉट पर निर्मित दूकान में वतौर किरायेदार के रूप में रह रहा है तथा किराया की राशि प्रत्येक महीना जीवनी देवी को भुगतान करता है। विपक्षी का आवासीय घर दो मंजिला मकान है जिस मकान में जाने का एकमात्र रास्ता गोदाम होकर है। इसके अलावे अन्य कोई विकल्प नहीं है। उनका कहना है कि अगर गोदाम को बन्द कर दिया जाता है तो वैसी परिस्थिति में विपक्षी और उनके वृद्ध माता–पिता बेघर हो जाते हैं। विपक्षी कोई अपराध नहीं किया है तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, बल्कि एक सभ्रात परिवार का है जिसका मुख्य पेशा व्यवसाय करना है जिस व्यवसाय से अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उनके द्वारा कारण पृच्छा को स्वीकृत कर सीलबन्द, गोदाम को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में जीवनी देवी पति काशी राम, साकिन जमालपुर थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया को नोटस की गयी तथा डी0बी0नं0–73/विधि, दिनांक 28.02.18 से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी को तामिला हेतु भेजा गया।

इस संबंध में प्रतिवादी/विपक्षी जीवनी देवी द्वारा करण पृच्छा समर्पित किया है जिसमें उल्लेख किया है कि किशोर कुमार बगेरिया उनके मकान में किरायेदार के रूप में रहकर व्यवसाय करते हैं और उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। वे अपना अलग व्यवसाय करती है तथा अपने वृद्ध पति के साथ अलग रहती है। उनके आवासीय घर में आने जाने का एक मात्र रास्ता आंगन है जो बिल्कुल खुला है जहाँ पर सभी लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए यह कहना की बरामद व्हिस्की की बोतल गोदाम से बरामद किया गया है बिल्कुल ही गलत एवं बनावटी है। वे एक वृद्ध एवं असहाय महिला है जिसके जीविका का एकमात्र साधन उक्त मकान से मिलने वाला किराया है जिससे उनका गुजर वरार होता है। विपक्षी के

दुश्मन लोग झुठा मुकदमा में फंसाया है। आंगन के बंद कर देने के कारण उन्हें दो मंजिला मकान में जाने का रास्ता बंद हो गया है जिसके कारण विपक्षी एवं उनके वृद्ध पति कष्ट दायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके द्वारा सीलबन्द आंगन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4284/हि0शा0, दिनांक 12.12.2017 के साथ संलग्न पु0नि0 गोगरी थाना के अधिहरण प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है किशोर कुमार बगेरिया पे0 महादेव राय उर्फ कोशी राम बगेरिया, साकिन—जमालपुर के गोदाम से 24 बोतल रॉयल स्टेग विदेशी शराब बरामद किया गया है।

उक्त पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त अधिहरण में उक्त गोदाम का उपयोग शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था। जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त गोदाम अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत गोदाम से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत गोदाम को अधिनियम की धारा—58(2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

प्रतिवादी का यह कहना है कि शराब का बोतल सार्वजनिक स्थल सड़क के बगल से बरामद किया गया है तथा गोदाम से बरामद नहीं किया गया है। अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता द्वारा कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रतिवादी के गोदाम से शराब बरामद नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी का यह भी कहना था कि उक्त गोदाम किराये पर दिया गया था और किराये नियमित रूप से भुगतान भी किया जाता है । परन्तु सुनवाई के दौरान मांगे जाने पर विपक्षियों द्वारा कोई भी किरायनामा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किराये की प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी गयी। इससे यह स्पष्ट है कि किराये वाली बात महज इस वाद को उलझाने के लिए किया जा रहा है। वास्तव में प्रतिवादी गोदाम पर पूर्ण दखल—कब्जा रखते थे और उनके द्वारा उक्त गोदाम के माध्यम से शराब का कारोबार किया जाता था।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत गोदाम को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम—2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:—

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये गोदाम (खाता नं0—02 खेसरा नं0—170 रकवा 01 कट्ठा 01 धुर 07 धुरकी 10 फुरकी है) को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधनियम—2016 की धारा 58 (2)के अन्तर्गत अधिहरण

किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला गोदाम किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।

2. अंचल अधिकारी, गोगरी को निदेश दिया जाता है कि उक्त गोदाम का उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया। 5/3/18 | समाहर्त्ता, खगड़िया। 5/3/18

ज्ञा० सं० 117 / विधि दिनांक 5/04/2018

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, गोगरी / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया
5/4/18

5/4/2018

0